न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार गीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 102/2014

आदूराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी 3 पीपीएन राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ़

(प्रार्थी)

बनाम

उदाराम पुत्र लाधूराम जाति मेघवाल निवासी 12 बी बी तहसील पदमपुर (मृतक) जरिये वारिसान–
(1) ओम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी 12 बीबी तहसील पदमपुर
(2)मनीराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी 12 बीबी तहसील पदमपुर
(3) लालचन्द पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी 12 बीबी तहसील पदमपुर

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थितः–
1. श्री सुरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी
3. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार सूरतगढ़

:: निर्णय :: दिनांकः–18.11.2020

प्रार्थी आदूराम पुत्र भैराराम जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 12.09.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी उदाराम पुत्र लाधूराम को भूमिहीन में जरिये मिसल न. 215/75 दिनांक 17.8.83 को वाके चक 3 पीपीएन का पत्थर न. 132/5 किला न. 15, 16, 17, 23 ता 25 =6.00 बीघा, किला न. 5 ता 7, 14 =4.00 बीघा पत्थर न. 132/38 किला न. 1 ता 7, 11 ता 17, 23 ता 25=13.11 बीघा कुल 23.11 बीघा भूमि अलॉट हुई थी। आवंटी द्वारा आज तक उक्त भूमि का कब्जा नही लिया गया व ना ही मौका पर आकार आबाद हुआ उसे कभी भी उक्त रकबा/आबादी में आते हुए नहीं देखा गया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को कभी काश्त नहीं केया इसलिए कृषक श्रेणी में नहीं आता है व जनरल कॉलोनी कन्डीशंस की भी अवहेलना की है। तथा आवंटी द्वारा एक भी किश्त जमा नहीं कराई है। मौका पर चक 3 पीपीएन का पत्थर न. 132/28 की 3.428 है0 भूमि जो कि रकबा राज थी उस पर प्रार्थी की व अमरसिंह की ढाणी पिछले 50 वर्षो से बनी हुई है। जिसमें पानी व बिजली की सुविधा मिली हुई है। उक्त ढाणी में पक्के मकान बने हुए है तथा माल पशु सहित सपरिवार निवास करता है। आवंटी उदाराम स्वयं फौत हो गया है गांव के भू माफिया लोग अब उक्त भूमि को हथियाने व कब्जा करने की फिराक में है। वे भू माफिया लोग सरकारी मशीनरी को अपने दबाव में लेकर किश्तो की राशि जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कोशिश में है तथा खातेदारी प्राप्त करके भूमि बैंक में रहन रखकर लोन भी उठाने का प्रयास कर रहे है। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में काययाब रहे तो सरकार को आर्थिक नुकसान होगा व भूमि गलत लोगो के हाथ में चली जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

18/11/20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर की किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार एवं अप्रार्थी नं. 1 ता 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई उपस्थित हुए। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जवाब पेश किया जिन्हे शामिल मिलस किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उदाराम पुत्र लाधूराम को भूमिहीन में दिनांक 17.8.83 को जरिये मिसल न. 215/75 वाके चक 3 पीपीएन का पत्थर न. 132/5 किला न. 15,16,17, 23 ता 25 =6.00 बीघा, किला न. 5 ता 7, 14 =4.00 बीघा पत्थर न. 132/38 किला न. 1 ता 7, 11 ता 17, 23 ता 25 =13.11 बीघा कुल 23.11 बीघा भूमि अलॉट हुई थी। आवंटी द्वारा आज तक उक्त भूमि का कब्जा नही लिया गया व ना ही मौका पर आकार आबाद हुआ उसे कभी भी उक्त रकबा/आबादी में आते हुए नहीं देखा गया है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को कभी काश्त नहीं किया इसलिए कृषक श्रेणी में नहीं आता है व जनरल कॉलोनी कन्डीशंस की भी अवहेलना की है। तथा आवंटी द्वारा एक भी किश्त जमा नहीं कराई है। मौका पर चक 3 पीपीएन का पत्थर न. 132/28 की 3.428 है0 भूमि जो कि रकबा राज थी उस पर प्रार्थी की व अमरसिंह की ढाणी पिछले 50 वर्षो से बनी हुई है। जिसमें पानी व बिजली की सुविधा मिली हुई है। उक्त ढाणी में पक्के मकान बने हुए है तथा माल पशु सहित सपरिवार निवास करते है। पटवारी हल्का राजपुरा पिपेरन ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.09.2014 व रिपोर्ट दिनांक 26.03.2015 में मौका पर प्रार्थी का व अन्य लोगो का कब्जा बताया है तथा मौका पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना माना है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जावे तथा लिखित बहस पेश करते हुये लिखित बहस के साथ प्रार्थी द्वारा मकानात की फोटो व बिजली बिल व आधार की फोटो प्रतियां पेश की गई तथा लिखित बहस में तथन किया कि अप्रार्थी उदाराम को दिनांक 17.08.1984 को रकबा भूमिहीन में आंवटन हुआ था जिसकी पहली किश्त अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.08.1989 में खजानाराज में जमा करवाना अप्रार्थी ने अपने स्वयं के जवाब में स्वीकार किया है। नियमानुसार आंवटन की दिनांक से दो वर्ष किश्त जमा होना अपरिहार्य है। जिसका पालन नही किया गया है तथा आंवटन नियमों का भी पालन नही किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट से पूर्णतया साबित है कि अप्रार्थी का 40–45 वर्षो से कब्जा काश्त नही रहा है।

विद्वान. अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आवंटी ने आवंटन होने के पश्चात आवंटित भूमि का मौका पर कब्जा प्राप्त कर लिया था व काश्त करने लग गया था। उदाराम का स्वर्गवास दिनांक 15.07.1992 को हो गया तथा उनके देहान्त के पश्चात से आज दिनांक तक मौका पर उनके वारिसान का कब्जा काश्त है जो गिरदावरी संवत् 2072 ता 75, 2039 ता 42 तथा जमाबंदी संवत् 2044 ता 47 व 2068 ता 71 से पूरी तरह साबित है। अप्रार्थी द्वारा उक्त की पहली किश्त दिनांक 25.08.1989 को जमा करवाई गई तथा शेष कि ते भी लगातार खजाना राज में जमा करवाई गई है जिसकी पुष्टि टीआरए ने अपनी रिपोर्ट में की हैं । उदाराम के कुल 8 वारिस है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में मात्र 3 वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 में मौका पर अमर सिंह की ढ़ाणी बताई है। जबकि अमर सिंह इस प्रकरण में कोई पक्षकार नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई कथन सही नहीं है। अलॉटी ने किसी प्रकार का कॉलोनी कन्डीशन का उल्लघंन नहीं किया। यह प्रार्थना पत्र धारा 11, 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1980 पेज 5, आरआरडी 1987 पेज 54, आरआरसी 1975 पेज 171, आरआरडी 2001 पेज 126, 128, 129, आरबीजे 2005 पेज 294, आरआरटी 2009 पेज 383 आआरटी 2019 (2) पेज 1065 की ओर ध्यान दिलाया।

18/11/2
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल आवंटन पत्रावली तथा न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पटवारी हल्का राजपुरा पिपेरन ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.03.2015 में बताया कि चक 3 पीपीएन का पत्थर न. 132/5 किला न. 15,16,17, 23 ता 25 =6.00 बीघा कमाण्ड, किला न. 5 ता 7, 14 =4.00 बीघा अ0कमा0, पत्थर न. 132/38 किला न. 1 ता 7, 11 ता 17, 23 ता 25 =13.11 बीघा अ0कमा0 कुल 23.11 बीघा भूमि सहायक उपनिवे ान आयुक्त रा0न0यो0 सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 17.08.1983 को उदाराम पुत्र लाधूराम को आवंटन किया गया। अलॉटी का नाम बरूवे रिकार्ड उदाराम पुत्र लाधूराम कौम मेघवाल साकिन 12 बीबी पुख्ता आवंटन भूमिहीन पत्थर न. 132/5 किला न. 23 की 0.253है0 एवं पत्थर न. 132/38 किला न. 1 ता 7 की 1.771 है0, 14 ता 17 की 1.012 है0, 23/2 की 0. 215 24/2 की 0.215, 25/2 की 0.215 है=3.248 है कुल 3.681 है0 एवं भूपराम पुत्र फूसाराम जाति बि नोई साकिन सरदारपुरा लाडाना खातेदार के नाम से 32/5 के किला न. 5 ता की 0.759 है0, 14 ता 17 की 1.012 है0, 24 ता 25 की 0.506 =2.277 है0 दर्ज है। वर्तमान में 132/5 के किला न. 23 में ि ावदत पुत्र रामनारायण जाति बि नोई व पत्थर न. 132/38 के किला न. 1 ता 7 की 1.771 है0, 14 ता 17 की 1.012 है0, 23/2 की 0.215 है0, 24/2 की 0.215 है0 25/2 की 0.215=3.428 है0 अ0कमा0 भूमि पर आदूराम पुत्र भैराराम जाति जाट पिछले 40–45 वर्षो से कब्जा का त है व पत्थर न. 132/5 के किला न. 5 ता 7 की 0.759 है0 14 ता 17 की 1.012 है0 24 ता 25 की 0.506 है0 =2.277 है0 भूमि पर भूपराम पुत्र फुसाराम जाति बिश्नोई साकिन सरदारपुरा लाडाना का कब्जा होना बताया है। पटवारी रिपोर्ट/तहसीलदार से यह प्रतीत होता है कि आवंटन नियमों के अनुसार मौका पर आवंटी अथवा उसके वारिसों का कब्जा नहीं रहा है तथा ना ही अप्रार्थी द्वारा अपना कब्जा साबित करने बाबत कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश किया है। आवंटी मात्र पेपर अलॉटी ही प्रतीत होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1980 पेज 5, आरआरडी 1987 पेज 54, आरआरसी 1975 पेज 171, आरआरडी 2001 पेज 126, 128, 129, आरबीजे 2005 पेज 294, आरआरटी 2009 पेज 383 आआरटी 2019 (2) पेज 1065 भी प्रकरण में लागू नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी ने. 1 ता 4 के पिता उदाराम पुत्र लाधूराम को भूमिहीन में मिराज संख्या 215/75 दिनांक 17.08.1983 को 3 पीपीएन का पत्थर न. 132/5 किला न. 15,16,17, 23 ता 25 =6.00 बीघा कमाण्ड, किला न. 5 ता 7, 14 =4.00 बीघा अ0कमा0, पत्थर न. 132/38 किला न. 1 ता 7, 11 ता 17, 23 ता 25 =13.11 बीघा अ0कमा0 कुल 23.11 बीघा भूमि का आंवटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner